

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-84/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

श्रीमती मंजु देवी बनाम असरीता महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

श्रीमती मंजु देवी, पति-श्री अविनाश महतो,  
ग्राम-बटोसोकरा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु,  
जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

असरीता महतो, पति-श्री सुरेन्द्र नाथ महतो,  
ग्राम-नवागाँव, पो०-राहे थाना-सोनाहातु,  
जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-21/05/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता असरीता महतो, पति-श्री सुरेन्द्र नाथ महतो, ग्राम-नवागाँव, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	श्रकवा
आमजोरा	बुण्डू	30	81	795	05 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-612 दिनांक-16/11/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम हलधर पाण्डे वल्द कोका पाण्डे वगैरह है।
- (2) आवेदिका स्वयं पंजी-II रैयत है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम मंजु देवी, पति-श्री अविनाश महतो है। तथा विक्रेता के पास रकवा-05 डी० भूमि है।



(4) आवेदिका स्वयं जमाबंदी रैयत है। तथा दाखिल खारीज वाद सं०-64R27/2016-17 के आधार जमाबंदी कायम है।

(5) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

(6) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात बिक्रेता के पास रकवा-1.00 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(7) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु विक्रय कर रही है।

(8) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक जिला के अर्न्तगत निववास करते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता श्रीमती मंजु देवी, पति-श्री अविनाश महतो, ग्राम-बटोसोकरा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, को क्रेता असरीता महतो, पति-श्री सुरेन्द्र नाथ महतो, ग्राम-नवागाँव, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-30/11/2018 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता श्रीमती मंजु देवी, पति-श्री अविनाश महतो, ग्राम-बटोसोकरा, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, को क्रेता असरीता महतो, पति-श्री सुरेन्द्र नाथ महतो, ग्राम-नवागाँव, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

#### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	श्रकबा
आमजोरा	बुण्डू/30	81	795	05 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

30/11/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

30/11/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।